दैनिक भास्कर
भोपाल, गुरुवार 6 अप्रैल, 2017 | 4

जवाहर नवोदय विद्यालय, अरनियाकला, जिला शाजापुर (म.प्र.)

क्रमांक 309/जनवि/2017-18/06 दिनांक - 05.04.2017

।। निविदा सूचना ।।

जवाहर नवोदय विद्यालय, अरनियाकलां, जिला शाजापुर (म.प्र.) में 01 जुलाई 2017 से 30 अप्रैल 2018 तक निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ती हेतु पंजीकृत फर्मों/व्यापारियों से सील बंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म एवं अन्य जानकारी मय सामग्री सूची के इस कार्यालय से प्रातः 10.00 बजे से 14.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवसों में दिनांक 06.04.2017 से 25.04.2017 तक रूपये 200/- नगंद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विद्यालय वेब साईट (www.jnvshajapur.org) से भी निविदा फार्म डाउनलोड किया जा सकता है। पूर्णरूपेण भरी हुई मुहरबंद निविदाएँ विद्यालय में निर्धारित धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट जो कि **प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय**, अरनियाकला के पक्ष में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शुजालपुर के नाम देय हो के साथ दिनांक 25.04.2017 को अपरान्ह 5.00 बजे तक जमा कर सकते है। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 28.04.2017 को दोपहर 12.00 बजे एस.डी.एम. कार्यालय, शुजालपुर में विद्यालय क्रय सलाहकार समिति के समक्ष खोली जायेगी। क्रय सलाहकार समिति निविदाओं को आंशिक अथवा पूर्णतः बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकती है।

सामग्रियाँ एवं अमानत राशि का विवरणः-

1. खाद्य सामग्री-40,000/-, 2. दैनिक उपयोग सामग्री (प्रसाधन)-15,000/-, 3. दूध एवं मिठाई-20,000/-, 4. फल एवं सब्जी-20,000/-, 5. विद्यार्थी कार्यालय लेखन एवं कम्प्युटर स्टेशनरी सामग्री-5,000/-, 6. कम्प्युटर हार्डवेयर एवं फोटोकॉपी मशीन रखरखाब (ए.एम.सी.)-2,000/-, 7. खेल-कूद सामग्री-5,000/-, 8. गणवेश सामग्री-10,000/-, 9. मेन्टेनन्स एण्ड रिपेयर सामग्री-5,000/-, 10. पानी टेंकर द्वारा-5,000/-, 11. दवाईयाँ-3,000/-, 12. प्रयोगशाला सामग्री-5,000/-, 13. बिजली एवं प्लम्बिंग सामग्री-2,000/-, 14. बिछावन सामग्री-2,000/-, 15. कपड़ा धुलाई कार्य-2,000/-, 16. गणवेश सिलाई-2,000/-, 17. केश कर्तन -500/-

नोट- 01. निविदा प्रपत्र संबंधित सामग्री के विक्रय करने के पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, लेटरपेड या साधारण कागज जिस पर अपनी सील लगी हो पर आवेदन देकर निम्ननिलित प्रमाण-पत्रों, टिन नम्बर, पेनकार्ड, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 प्रमाण पत्र तथा व्यवसायिक कर/वेट कर अदेयता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्राप्त किया जा सकता है तथा निविदादातों का संबंधित पद में व्यापार करना अनिवार्य है। 02. दूध एवं मिठाई/फल सब्जी/पानी टेंकर/हेयर कटिंग/गणवेश सिलाई/कपड़ों की धुलाई के लिए पंजीयन आयकर एवं विक्रय कर अदेयता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है।

प्राचार्य
जवाहर नवोदय विद्यालय
अरनियाकला, जिला शाजापुर (म.प्र.)